न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

2022/343

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 170/2022

प्रार्थीगण :–

1. पीराराम पुत्र बुधारामजी
2. भीयाराम पुत्र बुधारामजी
3. दौलाराम पुत्र पनाराम
4. हडमानराम पुत्र पनाराम
5. गोरखराम पुत्र पनाराम
6. समू पत्नी पनाराम सभी जातियान राईका निवासीयान जास्ती तह0 पचपदरा जिला बाडमेर।
7. बाबुराम पुत्र सुरारामजी
8. सुखाराम पुत्र सुरारामजी
9. मालाराम पुत्र सुरारामजी
10. ओमाराम पुत्र धीरारामजी
11. करनाराम पुत्र धीराराम
12. लेहरो बैवा धीराराम
13. हीराराम पुत्र गोकलराम
14. तेजाराम पुत्र गोकलराम
15. जोधाराम पुत्र गोकलराम सभी जाति राईका सभी निवासीयान कोरना तह0 कल्याणपुर जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. सुमेरसिह पुत्र विजयसिंह
2. जबरसिंह पुत्र मोहन कंवर बैवा चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी जास्ती तहसील कल्याणपुर।
3. चौथाराम पुत्र इन्द्राराम
4. रूपाराम पुत्र इन्द्राराम
5. धोकलराम पुत्र डूंगराराम
6. भैराराम पुत्र डूंगराराम जाति जाट सभी निवासीयान जास्ती तह0 कल्याणपुर
7. नरेगा अधिकारी ग्राम पंचायत जास्ती
8. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदारजी

.राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0</u>

<u>बाबत पत्थरगढी व नेकमुद्दी कायम हेतु</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:21 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

1.श्री नरपत सिंह भाटी प्रार्थीगण
2. श्री पूनमाराम चौधरी विप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक :– 6.09.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकारान्तर्गत स्वामित्व की कृषि भूमि सरहद मौजा जास्ती पटवार क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

गंगावास तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 335/143 रकबा 17-06 आई हुई है । विप्रार्थी संख्या 1 ता 8 विवादित भूमि के सेढा पडोसी है। जिससे प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य खेतो के सेढो को लेकर हमेशा भारी विवाद बना रहता है एवं आंधी व बरसात के दिनो मे खेत के सेढे वगैरा दब जाने से अस्पष्ट हो जाते है । प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि की नेखमबंदी करवाने का निवेदन किया है ।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थी संख्या 5 व 6 के वकील जबाब में विधि आपत्तिः पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र में दर्शाये खसरा संख्या 335/143 रकबा 17-06 बीघा भूमि के सभी खातेदारों द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं पेश नही किया है वह सेढा पडोस में आये सभी पडोसियो के पक्षकार विप्रार्थी नही बनाये गये है जाने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है । दीगर विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 7 को जारी रजिस्ट्रर्ड नोटिस डाक रसीदे पेश की गई बावजूद सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गयी । विप्रार्थी संख्या 5 व 6 के वकील ने खसरा संख्या 335/143 के सभी खातेदारों द्वारा प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा रहा है व सेढा पडौसी मे आये सभी पडौसियों को पक्षकार विप्रार्थी नहीं बनाए जाने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं से खारिज फरमाया जावें ।

3. प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 5 व 6 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील ने दोहराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण विप्रार्थीगण खातेदारी खेत के सेढा पडोसी है जिनके मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसके सम्बन्ध मे हल्का पटवारी गंगावास से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी में नक्शा खतौनी 2073-76 पेश की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने के आदेश फरमाया जावें।

4. हमने विद्वान प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी व पत्रावली [illegible] संलग्न राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया । बाद गौर प्रार्थीगण खातदेार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है । प्रार्थीगण विवादित भूमि का खातेदार है और अपनी खातेदारी भूमि का नेखमबंदी कराने का हकदार भी है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जारली पटवार क्षेत्र गंगावास तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 336/143 रकबा 17-06 बीघा भूमि की नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि नेखमबंदी करने से पूर्व पक्षकारान को जरिये नोटिस अत: नोटिस के सूचित करते हुए उनकी उपस्थित में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चत कर विवादित भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावे । पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। मौका कमिश्नर शुल्क प्रार्थीगण के द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

आज दिनांक 6.09.2022 को आदेश लिखा जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:21 IST
Reason: SelfAttested